

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i)में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0. 33/2017-एकीकृत कर (दर)

नयी दिल्ली, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि.....(अ) - एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 9/2017- एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II के खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है; यथा:-

(i) सारणी में,-

(क) क्रम सं0 5 में, कालम (3) में शब्दों “ सरकारी प्राधिकारी ” के स्थान पर “केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम सं0 10ख और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-------|--------------|--|-------------|-------------------|
| “10 ग | अध्याय 99 | केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय निकाय, जैसी भी स्थिति हो, से अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के एवज में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय निकाय ऐसे किसी व्यक्ति, जिसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, को किसी सरकारी निकाय द्वारा की जाने वाली सेवा की आपूर्ति। | कुछ नहीं | कुछ नहीं” ; |

(ग) क्रम सं0 22 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------|--------------------------------------|---|----------|------------|
| “22क | शीर्ष 9965 or शीर्ष 9967 | <p>किसी माल परिवहन एजेंसी द्वारा किसी गैर पंजीकृत व्यक्ति, जिसमें गैर पंजीकृत नैमित्तिक कर-योग्य व्यक्ति भी आते हैं, और निम्नलिखित व्यक्तियों से भिन्न हों, के द्वारा प्रदान की गयी सेवाएँ:-</p> <p>(क) फैक्टरी एक्ट, 1948 (1948 का 63) के अंतर्गत पंजीकृत या उसके द्वारा अधिशाषित कोई कारखाना; या</p> <p>(ख) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 (1860 का 12) के अंतर्गत या तत्समय भारत के किसी भाग में प्रचलित किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत कोई सोसाइटी;</p> <p>(ग) किसी कानून के द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित कोई को-आपरेटिव सोसाइटी; या</p> <p>(घ) किसी कानून के द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित कोई बॉडी -कॉर्पोरेट ; या</p> <p>(ङ) कोई भी पार्टनरशिप फ़र्म चाहे वह किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत हो या नहीं, इसमें व्यक्तियों के संघ भी आते हैं;</p> <p>(च) कोई भी नैमित्तिक कर-योग्य व्यक्ति जो केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम या एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम या राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम या संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम में पंजीकृत हो।</p> | कुछ नहीं | कुछ नहीं”; |

(घ) क्रम सं0 24 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------|---------------|--|----------|----------------|
| “24क | शीर्ष 9967 | <p>किसी वार्षिक वृत्ति के भुगतान के एवज में किसी सड़क या किसी पुल तक पहुँच प्रदान करने वाली सेवा ।</p> | कुछ नहीं | कुछ नहीं” ; |

(ड) क्रम सं० 43 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“औद्योगिक भू-खण्ड या ऐसे भू-खण्ड जो वित्तीय-व्यापारकी अव-संरचनाओं के विकास के लिए हों तथा (क) किसी औद्योगिक इकाई या (ख) औद्योगिक या वित्तीय व्यापारिक क्षेत्र के किसी डेवलपर को, तथा राज्य सरकार औद्योगिक विकास निगम / प्रतिष्ठान या ऐसे किसी निकाय द्वारा दीर्घ कालीन अवधि (तीन वर्ष या इससे अधिक) के लिए पट्टे पर दिये गए हों जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, का स्वामित्व 50% या इससे अधिक हों, तो ऐसी सेवा के बारे में भुगतान किए जाने वाली अग्रिम (upfront) राशि, (जिसे प्रीमियम, सलामी, लागत, विकास खर्च या आँय किसी भी नाम से जाना जाता हो)”

(ii) पैराग्राफ 2 में, उप-वाक्य (यच) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(यच) “सरकारी प्राधिकरण” से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय से है जिसका गठन,-

(i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या

(ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो, और जिसका काम संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अंतर्गत नगर निगम को या संविधान के अनुच्छेद 243 छ के अंतर्गत किसी पंचायत को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है ।

(यचक) “सरकारी निकाय” से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय (जिसमें सोसाइटी, ट्रस्ट, निगम भी आते हैं) से है जिसका गठन,-

(i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या

(ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो, और जिसका काम केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है।”

[फ़ा सं.354/173/2017 –टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 9/2017- एकीकृत कर(दर), दिनांक 28 जून, 2017 के माध्यम से सा.का.नि. 684(अ), 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार सा.का.नि. 1212 (अ.), दिनांक 29 सितंबर, 2017 के माध्यम से अधिसूचना सं. 31/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 29 सितंबर, 2017, के द्वारा संशोधन किया गया है।